

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 527]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 19 दिसम्बर 2016—अग्रहायण 28, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2016

क्र. 19843-312-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 18 दिसम्बर, 2016 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३० सन् २०१६

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-६) अधिनियम, २०१६

[दिनांक १८ दिसम्बर, २०१६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १९ दिसम्बर, २०१६ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

वित्तीय वर्ष २०१६-२०१७ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-६) अधिनियम, २०१६ है.

वित्तीय वर्ष २०१६-१७ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये १४,३०,९१,००,३८७ का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये नौ हजार चार सौ तीस करोड़ इक्यानवे लाख तीन सौ सतासी केवल होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०१६-२०१७ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		विधान सभा द्वारा मतदत्त रुपये	संचित निधि पर भारत रुपये	योग रुपये
०१.	सामान्य प्रशासन	राजस्व १९,९५,५०,०००	१८,३६,००,०००	३८,३१,५०,०००
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय.	राजस्व १,००,०००	०	१,००,०००
०३.	पुलिस	राजस्व २,३०,००,७०० पूँजी ८१,९०,००,०००	० ०	२,३०,००,७०० ८१,९०,००,०००
०४.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व ११,३६,९०,३८७	०	११,३६,९०,३८७
०६.	वित्त	राजस्व १,५०,००,२००	०	१,५०,००,२००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये		
०८.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
१०.	वन	राजस्व	३२,१३,००,१००	०	३२,१३,००,१००
११.	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	राजस्व	१,३४,०२,००,०००	०	१,३४,०२,००,०००
		पूँजी	१,००,००,००,०००	०	१,००,००,००,०००
१२.	ऊर्जा	राजस्व	५,५६,००,००,०००	०	५,५६,००,००,०००
		पूँजी	५,४१,७१,००,०००	०	५,४१,७१,००,०००
१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	९,५२,३४,००,०००	०	९,५२,३४,००,०००
१४.	पशुपालन	राजस्व	६,००,००,०००	०	६,००,००,०००
१५.	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	८,४३,४१,७७,०००	०	८,४३,४१,७७,०००
१६.	मछली पालन	राजस्व	१४,००,००,०००	०	१४,००,००,०००
१७.	सहकारिता	पूँजी	१००	०	१००
१८.	श्रम	राजस्व	५०,००,०००	०	५०,००,०००
२१.	लोक सेवा प्रबंधन	राजस्व	०	८,६२,३००	८,६२,३००
		पूँजी	४,००,००,०००	०	४,००,००,०००
२२.	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	राजस्व	४,२१,४१,००,०००	०	४,२१,४१,००,०००
२३.	जल संसाधन	पूँजी	४,१५,००,००,८००	०	४,१५,००,००,८००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
२४.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल.	पूंजी	५,००,००,०८,७००	०	५,००,००,०८,७००
२६.	संस्कृति	राजस्व	२९,१५,५०,०००	०	२९,१५,५०,०००
२९.	विधि और विधायी कार्य	राजस्व	२५,६०,०००	०	२५,६०,०००
३०.	ग्रामीण विकास	राजस्व	१,२५,००,००,०००	०	१,२५,००,००,०००
		पूंजी	२,६०,००,००,०००	०	२,६०,००,००,०००
३१.	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	राजस्व	४६,०७,०००	०	४६,०७,०००
३२.	जनसंपर्क	राजस्व	१,२३,००,००,०००	०	१,२३,००,००,०००
३४.	सामाजिक न्याय	राजस्व	२४,००,००,०००	०	२४,००,००,०००
३५.	पुनर्वास	राजस्व	१००	०	१००
३६.	परिवहन	राजस्व	२,००,००,०००	०	२,००,००,०००
		पूंजी	९,००,००,०००	०	९,००,००,०००
३७.	पर्यटन	राजस्व	७,००,००,०००	०	७,००,००,०००
३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण.	राजस्व	१,८७,१४,००,०००	०	१,८७,१४,००,०००
४०.	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	पूंजी	९००	०	९००
४१.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	राजस्व	१,६३,६०,८७,०००	०	१,६३,६०,८७,०००
		पूंजी	३,२५,४५,६१,३००	०	३,२५,४५,६१,३००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
४२.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल	पूंजी	२००	०	२००
४३.	खेल और युवक कल्याण	राजस्व	१००	०	१००
४४.	उच्च शिक्षा	राजस्व	१३,००,०००	०	१३,००,०००
		पूंजी	२०,००,००,०००	०	२०,००,००,०००
४५.	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	पूंजी	१,००,००,०६,३००	०	१,००,००,०६,३००
४६.	विज्ञान और टेक्नालॉजी	राजस्व	१२,२४,००,०००	०	१२,२४,००,०००
४७.	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	राजस्व	४,९७,०३,०००	०	४,९७,०३,०००
		पूंजी	८३,३८,०००	०	८३,३८,०००
४८.	नर्मदा घाटी विकास	पूंजी	१,००,००,००,९००	०	१,००,००,००,९००
५०.	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राजस्व	१,१२,००,६०,२००	०	१,१२,००,६०,२००
५२.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	१०,०५,३२,६३,०००	०	१०,०५,३२,६३,०००
५४.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	राजस्व	३९,८०,००,०००	०	३९,८०,००,०००
५५.	महिला एवं बाल विकास	राजस्व	७,७५,२४,०००	०	७,७५,२४,०००
		पूंजी	४९,४८,००,०००	०	४९,४८,००,०००
५६.	ग्रामोद्योग	राजस्व	१००	०	१००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
६४.	अनुसूचित जाति उपयोजना			
	राजस्व	५२,०५,६८,०००	०	५२,०५,६८,०००
	पूंजी	९५,९६,१४,१००	०	९५,९६,१४,१००
६५.	विमानन			
	राजस्व	४,००,००,०००	०	४,००,००,०००
७०.	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.			
	राजस्व	७५,००,०००	०	७५,००,०००
७२.	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास.			
	राजस्व	५०,३७,०००	०	५०,३७,०००
७३.	चिकित्सा शिक्षा			
	राजस्व	३४,९०,३०,०००	०	३४,९०,३०,०००
७४.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता			
	राजस्व	१७,४३,६१,९८,९००	०	१७,४३,६१,९८,९००
७५.	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता			
	राजस्व	५९,४९,००,०००	६५,००,००,०००	१,२४,४९,००,०००
	राजस्व	६७,४४,१२,०६,७८७	८३,४४,६२,३००	६८,२७,५६,६९,०८७
	पूंजी	२६,०३,३४,३१,३००	०	२६,०३,३४,३१,३००
	वृहद-योग	९३,४७,४६,३८,०८७	८३,४४,६२,३००	९४,३०,९१,००,३८७

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2016

क्र. 19843-312-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 6) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 30 सन् 2016) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 30 OF 2016

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (NO. 6) ACT, 2016.

[Received the assent of the Governor on the 18th December, 2016; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 19th December, 2016.]

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2016-2017.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-Seventh year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No. 6) Act, 2016. Short title.
2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of rupees Nine thousand four hundred thirty crore ninety-one lakh three hundred eighty seven only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the Financial Year 2016-2017 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule. Issue of Rs. 94,30,91,00,387 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2016-2017.
3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year. Appropriation.

THE SCHEDULE

(See Sections 2 and 3)

(1) No. of Vote	(2) Services and purposes	(3) Sums not exceeding			
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total	
		Rs.	Rs.	Rs.	
01.	General Administration	Revenue	19,95,50,000	18,36,00,000	38,31,50,000
02.	Other expenditure pertaining to General Administration Department	Revenue	1,00,000	0	1,00,000
03.	Police	Revenue	2,30,00,700	0	2,30,00,700
		Capital	81,90,00,000	0	81,90,00,000
04.	Other expenditure pertaining to Home Department	Revenue	11,36,90,387	0	11,36,90,387
06.	Finance	Revenue	1,50,00,200	0	1,50,00,200

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
08.	Land Revenue and District Administration	Revenue	10,00,00,000	0	10,00,00,000
10.	Forest	Revenue	32,13,00,100	0	32,13,00,100
11.	Commerce, Industry and Employment	Revenue	1,34,02,00,000	0	1,34,02,00,000
		Capital	1,00,00,00,000	0	1,00,00,00,000
12.	Energy	Revenue	5,56,00,00,000	0	5,56,00,00,000
		Capital	5,41,71,00,000	0	5,41,71,00,000
13.	Formers Welfare and Agriculture Development	Revenue	9,52,34,00,000	0	9,52,34,00,000
14.	Animal Husbandry	Revenue	6,00,00,000	0	6,00,00,000
15.	Financial assistance to Three Tier Panchayati Raj Institutions under Schedule Castes Sub-Plan	Revenue	8,43,41,77,000	0	8,43,41,77,000
16.	Fisheries	Revenue	14,00,00,000	0	14,00,00,000
17.	Co-operation	Capital	100	0	100
18.	Labour	Revenue	50,00,000	0	50,00,000
21.	Public Services and Management	Revenue	0	8,62,300	8,62,300
		Capital	4,00,00,000	0	4,00,00,000
22.	Urban Development and Environment	Revenue	4,21,41,00,000	0	4,21,41,00,000
23.	Water Resources Department	Capital	4,15,00,00,800	0	4,15,00,00,800
24.	Public Works—Roads and Bridges	Capital	5,00,00,08,700	0	5,00,00,08,700

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
26.	Culture	Revenue	29,15,50,000	0	29,15,50,000
29.	Law and Legislative Affairs	Revenue	25,60,000	0	25,60,000
30.	Rural Development	Revenue	1,25,00,00,000	0	1,25,00,00,000
		Capital	2,60,00,00,000	0	2,60,00,00,000
31.	Planning Economics and Statistics	Revenue	46,07,000	0	46,07,000
32.	Public Relations	Revenue	1,23,00,00,000	0	1,23,00,00,000
34.	Social Justice	Revenue	24,00,00,000	0	24,00,00,000
35.	Rehabilitation	Revenue	100	0	100
36.	Transport	Revenue	2,00,00,000	0	2,00,00,000
		Capital	9,00,00,000	0	9,00,00,000
37.	Tourism	Revenue	7,00,00,000	0	7,00,00,000
39.	Food, Civil Supplies and Consumer Protection	Revenue	1,87,14,00,000	0	1,87,14,00,000
40.	Other expenditure pertaining to School Education Department (excluding Primary Education)	Capital	900	0	900
41.	Tribal Areas Sub-Plan	Revenue	1,63,60,87,000	0	1,63,60,87,000
		Capital	3,25,45,61,300	0	3,25,45,61,300
42.	Public Works relating to Tribal Areas Sub-Plan-Roads and Bridges	Capital	200	0	200
43.	Sports and Youth Welfare	Revenue	100	0	100

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
44.	Higher Education			
	Revenue	13,00,000	0	13,00,000
	Capital	20,00,00,000	0	20,00,00,000
45.	Minor Irrigation Works			
	Capital	1,00,00,06,300	0	1,00,00,06,300
46.	Science and Technology			
	Revenue	12,24,00,000	0	12,24,00,000
47.	Technical Education and Skill Development			
	Revenue	4,97,03,000	0	4,97,03,000
	Capital	83,38,000	0	83,38,000
48.	Narmada Valley Development			
	Capital	1,00,00,00,900	0	1,00,00,00,900
50.	Horticulture and Food Processing			
	Revenue	1,12,00,60,200	0	1,12,00,60,200
52.	Financial assistance to Triblal Area Sub-plan-Three Tier Panchayati Raj Institutions			
	Revenue	10,05,32,63,000	0	10,05,32,63,000
54.	Agricultural Research and Education			
	Revenue	39,80,00,000	0	39,80,00,000
55.	Women and Child Development			
	Revenue	7,75,24,000	0	7,75,24,000
	Capital	49,48,00,000	0	49,48,00,000
56.	Rural Industry			
	Revenue	100	0	100
64.	Scheduled Castes Sub Plan			
	Revenue	52,05,68,000	0	52,05,68,000
	Capital	95,96,14,100	0	95,96,14,100
65.	Aviation			
	Revenue	4,00,00,000	0	4,00,00,000
70.	Externally Aided Projects pertaining to Technical Education and Training Department			
	Revenue	75,00,000	0	75,00,000
72.	Bhopal Gas Tragedy Relief and Rehabilitation			
	Revenue	50,37,000	0	50,37,000

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
73.	Medical Education Department	Revenue	34,90,30,000	0	34,90,30,000
74.	Financial assistance to Three Tier Panchayati Raj Institutions	Revenue	17,43,61,98,900	0	17,43,61,98,900
75.	Financial Assistance to Urban bodies	Revenue	59,49,00,000	65,00,00,000	1,24,49,00,000
Total		Revenue	: 67,44,12,06,787	83,44,62,300	68,27,56,69,087
		Capital	: 26,03,34,31,300	0	26,03,34,31,300
Grand Total		:	93,47,46,38,087	83,44,62,300	94,30,91,00,387